फर्द अहकाम

दामोदर बनाम गोविन्दनारायण व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 20/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	12/11/24	आज दिनांक 12/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हों।
	20/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी-2 मय अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी-2 की ओर से न्यायालय समय समाप्ति तक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस प्रा.पत्र टी.आई. का निवेदन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से वादग्राम बीलपुरा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की खातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 142, 146, 157, 158, 159/1 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.45 हे. के सन्दर्भ में वादी मीरास एंड बाउंड्स विधिक विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थीगण (वादीगण) का 1/4-1/4 हिस्सा [कुल 1/2 हिस्सा] निहित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन व प्रार्थनापत्र टी.आई. के सम्बन्ध में किसी प्रकार की उत्तर आपत्ति अथवा जवाब हेतु अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त भी / नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी

फर्द अहकाम

दामोदर बनाम गोविन्दनारायण व अन्य

संख्या /वर्ष (प्रा.पत्र टी.आई.) 20/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
20/11/24	अप्रार्थी-2 के अतिरिक्त अन्य किसी भी अप्रार्थी की ओर से न्यायालय हाजा में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई उत्तर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा उपस्थित अप्रार्थी-2 (प्रकरण में) 2 द्वारा भी उपस्थिति दिनांक 24.6.24 के क्रम में अधिकतम समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी (लगभग 05 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी) प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा कोई आपत्ति भी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक उल्लेखित वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 142, 146, 157, 158, 159/1 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.45 हे. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत पाबन्द फरमाया जावे। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन [illegible] पत्रावली के अवलोकन से [illegible] स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की	

P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:55:53 IST
Reason: SelfAttested

दामोदर बनाम गोविन्दनारायण व अन्य
प्रा.पत्र टी.आई. 20/2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/11/24	ओर से स्वयं की ~~[illegible]~~ अभिलिखित खातेदारी की भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में मूलवाद प्रस्तुत किया गया है जो लम्बित है। साथ ही भूमि के विधिक विभाजन तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का इस्तगासा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम/संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.05.24 को पारित किया गया है। जिसके क्रम/संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति अथवा कोई मान्य/औपचारिक खंडन व जवाब उपस्थित अप्रार्थी-2 द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा शेष अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद विधिवत प्राप्ति नोटिस व जानकारी के न्यायालय हाजा में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है (जिससे उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित किए जा चुके है)। अतः चूंकि ~~[illegible]~~ किसी भी अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी मान्य स्तर पर प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति आज दिनांक तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः न्यायहित व वाद बहुलता को दृष्टिगत पूर्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.05.24 को ताफैसला मूलवाद स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम कोलपुरा तह[illegible] स्थित वादग्रस्त भूमि खा.ख. [illegible] 146, 157, 158, 159 [illegible] कुल रकबा 1.0500 [illegible] व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम [illegible]। विरासत नामांतरण के संदर्भ में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 16:55:53 IST
Reason: SelfAttested